एफटीडी और जीपीबी विवरणों का फार्मेट

<u>एफटीडी</u>

<u>विदेशी मुद्रा का दैनिक पण्यावर्त दर्शाने वाला विवरण दिनांक</u>

		व्यापारी			अंतरबैंक		
		हाजिर,नकद, तैयार, टी.टी. आदि	वायदा	वायदों का निरसन	हाजिर	अदला बदली	वायदा
एफसीवाइ/आइएनआर	से खरीदा गया						
	को बेचा गया						
एफसीवाइ/एफसीवाइ	से खरीदा गया						
	को बेचा गया						

<u>जीपीबी</u>

<u>............को अंतराल, स्थिति और नकद शेष दर्शानिवाला विवरण</u>

विदेशी मुद्रा शेष	:	मिलियन अमरीकी डॉलर में
(नकद शेष + सभी निवेश)	:	
निवल जोखिम विनिमय स्थिति (रुपये)	:	भारतीय करोड़ रुपए में ओ/बी (+)/ओ/एस (-)
एफसीवाइ/ आइएनआर	:	करोड़ रुपए में
एजीएल रखा गया (अमरीकी डॉलर में)	:	वीएआर रखा गया (भारतीय रुपए में):

विदेशी मुद्रा परिपक्वता असंतुलन (मिलियन अमरीकी डॉलर में)

1 माह	2 माह	3 माह	4 माह	5 माह	6 माह	> 6 माह

अनुबंध - III
[पैरा ई.(ii) देखें]

<u>माह ______________ के लिए नॉस्त्रो / वॉस्त्रो जमाशेष का विवरण</u>

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक का नाम और पता

क्रम सं.	मुद्रा	नॉस्त्रो खाते का कुल जमाशेष	वॉस्त्रो खाते का कुल जमाशेष	
1.	अमरीकी डॉलर			
2.	युरो			
3.	जापानी येन			
4.	ग्रेट ब्रिटेन पाउंड			
5.	रुपया			
6.	अन्य मुद्राएं (मिलियन अमरीकी डॉलर में)			

टिप्पणी : ि न मामलों में उक्त मदों में (1 से 5 तक) प्रतिमाह 10 प्रतिशत से अधिक घट-बढ़ है उन मामलों में उसका कारण पाद-टिप्पणी के रूप में संक्षिप्त रूप में दिया जाए ।

उक्त विवरण निदेशक, अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 8वीं मं ि ल, मुंबई 400 001. फोन : 022- 22663791. फॅक्स : 022 - 2262 2993, 22660792. ईमेल - deapdif@rbi.org.in/rajmal@rbi.org.in को संबोधित किया जाना चाहिए।

अनुबंध - IV
[पैरा ई (iii) देखें]

परस्पर लेनदेन की मुद्रा व्युत्पन्न लेनदेन - ___________ को समाप्त
अर्ध वार्षिक विवरण

उत्पाद	लेनदेन की संख्या	आनुमानिक मूल राशि अमरीकी डॉलर में
ब्याज दर स्वैप		
मुद्रा स्वैप		
कूपन स्वैप		
विदेशी मुद्रा विकल्प		
ब्याज दर कैप या कॉलर (खरीद)		
वायदा दर करार		
रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत अन्य कोई उत्पाद		

अनुबंध- V

[भाग-अ का पैरा -1(एच)]

दिनांक --------------------------को विदेशी मुद्रा के निवेशों से संबंधित जानकारी

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक का नाम ---------------------------------------

क्रमांक	कंपनी का नाम	संबंधित व्यापार					गैर व्यापार संबंधी निवेश-बकाया	तिमाही की समाप्ति पर बैंक के साथ कंपनी द्वारा हेजिंग की राशि				
		तिमाही की समाप्ति पर बकाया व्यापार निवेश		विगत कार्य-निष्पादन आधार के तहत स्वीकार्य सीमा		बकाया अल्पावधि वित्त		वायदा संविदाएं(एक खंड के रूप में रुपये के साथ)		विदेशी मुद्रा /आईएनआर ऑप्शन्स		करेसी स्वैप(करेंसी अदला-बदली)
		निर्यात *	आयात * *	निर्यात *	आयात * *	बैंक/ पीसीएफसी द्वारा मंजूर व्यापार ऋण(क्रेता /आपूर्तिकर्ता का ऋण/)	ईसीबी/ पीसीसीबी(बैंक /एफसीएनआर बैंक लोन द्वारा निपटाए गए मामले)	क्रय	विक्रय	तेजी	मंदी	

*   वसूली के बाद प्रेषित सभी निर्यात बिल । सम्मिलित न किए गए खरीदे /भुनाए गये/वार्तातय निर्यात बिल ।

* *   सम्मिलति करने हेतु निस्तारित साखपत्र / साखपत्र के तहत निपटान हो चुके बिल / आयात आय की वसूली हेतु बकाया बिल

टिप्पणी :

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-Iबैंक, बैंक के सम्यक रूप से उपर्युक्त डाटा समेकित करें और कंपनी-वार शेष दर्शाते हुए एक्सेल फॉर्मेट में एक रिपोर्ट मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग, अमर भवन, फोर्ट, मुंबई 400001 को प्रेषित करें ।

अनुबंध - VI
[भाग-अ का पैरा 2(ङ) देखें]

<u>आयात / निर्यात पण्यावर्त, अतिदेय आदि के ब्यौरे दर्शानेवाला विवरण</u>

ग्राहक का नाम :- ____

(मिलियन अमेरीकी डॉलर में राशि)

वित्तीय वर्ष (अप्रैल - मार्च)	टर्नओवर		टर्नओवर के अतिदेय बिलों का प्रतिशत		पिछले कार्य - निष्पादन पर वायदा रक्षा आधार पर बुकिंग के लिए वर्तमान सीमा	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
2003-2004						
2004-2005						
2005-2006						

अनुबंध - VII
[भाग-अ पैरा 2 (iii) देखें]

विदेशी मुद्रा - रुपया ऑप्शन्स - प्राधिकृत व्यापारियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन विदेशी मुद्रा - रुपया ऑप्शन्स देने की अनुमति है :-

(क) यह उत्पाद न्यूनतम 9 प्रतिशत सीआरएआर वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा एक दूसरे पर टिके (बैक-टू-बैक) के आधार पर दिए जा सकते हैं ।

(ख) पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण, जोखिम निगरानी / प्रबंध प्रणाली, बाज़ार मूल्य को बही में अंकित करने की प्रणाली और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करनेवाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक , भारतीय रिज़र्व बैंक से एक बारगी अनुमोदन प्राप्त करने के बाद विकल्प बही में दर्ज करना प्रारंभ कर सकते हैं:

(i) कम से कम तीन साल तक लगातार लाभप्रदता

(ii) 9 प्रतिशत की न्यूनतम सीआरएआर

(iii) समुचित स्तर तक निवल गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां (निवल अग्रिमों के 5 प्रतिशत से अधिक न हो)

(iv) न्यूनतम शुद्ध मालियत 200 रु. करोड़ से कम न हो

(ग) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक वर्तमान में केवल साधारण वैनिला यूरोपियन ऑप्शन्स का ही प्रस्ताव दे सकते हैं।

(घ) (i) ग्राहक क्रय अथवा विक्रय विकल्पों की खरीद कर सकते हैं,

(ii) ग्राहक एकमुश्त उत्पादों के लिए भी जा सकते हैं जिनकी संरचना में लागत-कमी शामिल हो, बशर्ते ढांचे से जोखिम की वृद्धि न हो और उससे ग्राहक को किसी प्रीमियम की प्राप्ति शामिल न हो।

(iii) ग्राहकों द्वारा ऑप्शन्स लिखने की अनुमति नहीं है। फिर भी, शून्य लागत विकल्प ढांचे की अनुमति दी जा सकती है।

(ङ) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक , उत्पाद का उपयोग करने के इच्छुक ग्राहकों से वचनपत्र लेंगे कि वे उत्पाद के स्वरूप और उसमें निहित जोखिमों से भलीभांति परिचित हो गए हैं।

(च) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक , विकल्प प्रीमियम रुपये में अथवा रुपये / विदेशी मुद्रा की आनुमानिक के प्रतिशत में दे सकते हैं।

(छ) परिपक्वता पर विकल्प संविदाओं का निपटान या तो हाज़िर सुपुर्दगी द्वारा अथवा संविदा में निर्दिष्ट हाज़िर आधार पर निवल नकदी भुगतान द्वारा कर सकते हैं। परिपक्वता से पहले लेनदेन को समाप्त करने के मामले में संविदा का समरूप समायोजन विकल्प के बाज़ार मूल्य के आधार पर नकदी निपटान किया जाए।

(ज) वायदा संविदाएं करने, उनके रोलओवर और निरस्तीकरण के लिए लागू सभी शर्तें विकल्प संविदाओं पर भी लागू होंगी। पूर्व निष्पादन के आधार पर, वायदा संविदा करने के लिए उपलब्ध सीमाओं में, विकल्प लेनदेन भी शामिल है। रिज़र्व बैंक में आवेदन करने पर, जैसा वायदा संविदाओं के मामले में है, मामला दर मामला आधार पर उच्चतर सीमा अनुमति दी जाएगी।

(झ) एक समय में किसी विशेष जोखिम के लिए/ अथवा उसके किसी अंश के लिए केवल एक ही रक्षा लेनदेन किया जा सकेगा।

(ञ) आकस्मिक अथवा व्युत्पन्न जोखिम (विदेशी मुद्रा में बोली प्रस्तुत करने से होनेवाले जोखिम के सिवाय) के लिए विकल्प संविदा का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

2. **उपयोगकर्ता**

(क) जायज़ विदेशी मुद्रा जोखिम वाले ग्राहक समय-समय पर यथा संशोधित मई 3, 2003 अधिसूचना सं. फेमा.25/2000-आरबी की अनुसूची I और II के अनुसार विकल्प संविदा करने के पात्र हैं।

(ख) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक , व्यापारिक बहियों और तुलनपत्र की जोखिमों की रक्षा के प्रयोजन से उत्पाद का उपयोग कर सकते हैं।

3. **जोखिम प्रबंध और विनियामक मुद्दे**

(क) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक , विकल्प बही चलाना चाहते हैं और मार्केट मेकर के रूप में कार्य करने के इच्छुक हैं वे सक्षम प्राधिकारी (बोर्ड/जोखिम समिति/ एएलसीओ) के अनुमोदन और इस संबंध में प्रस्तुत विस्तृत ज्ञापन की प्रतिलिपि के साथ मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई 400001 के पास आवेदन प्रस्तुत करें। जो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक , इस उत्पाद का बैक-टू-बैक आधार पर उपयोग करना चाहते हैं वे उक्त प्रभाग को इस बारे में सूचित करते रहें।

(ख) मार्केट मेकर को हाज़िर बाज़ार के माध्यम से अपने विकल्प पोर्टफोलियो के ’डेल्टा’ की रक्षा के लिए अनुमति होगी । अन्य "ग्रीक्स " की रक्षा अंतर बैंक बाज़ार में विकल्प लेनदेन द्वारा की जा सकती है। विकल्प संविदा का "डेल्टा" एक दिवसीय कुल स्थिति का भाग होगा। "एजीएल" के प्रयोजन के लिए विकल्प संविदा को शामिल करने के संबंध में, प्रत्येक परिपक्वता के आखिर में "डेल्टा समकक्ष" को हिसाब में लिया जाएगा। प्रत्येक बकाया विकल्प संविदा की परिपक्वता को विभिन्न परिपक्वता समूहों में समूह बनाने के लिए पहले से लिया जा सकता है। (विकल्प संविदाओं से संबंधित विविध "ग्रीक" की परिभाषा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा - रुपया विकल्प पर तकनीकी समिति की रिपोर्ट देखें) ।

(ग) फिलहाल प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों , से अपेक्षित है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा पहले से अनुमोदित जोखिम प्रबंध सीमा के भीतर ही विकल्प पोर्टफोलियो को रखें।

(घ) विकल्प बही चलानेवाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक , को विदेशी मुद्रा रुपये विकल्प में बाज़ार में सक्रिय रहने के कारण उत्पन्न जोखिम की रक्षा के लिए साधारण वैनिला क्रास करेंसी विकल्प स्थितियां प्रारंभ करने की अनुमति है।

(ङ) बैंक दैनिक आधार पर बहियों में पोर्टफोलियो की प्रविष्टि की सही प्रणाली बनाए जाए। एफइडीएआइ निहित उतार-चढ़ाव अनुमान की मेट्रिक्स प्रकाशित करेगा जिसे बाज़ार के सहभागी अपने पोर्टफोलियो के बाज़ार मूल्य को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं।

4. **रिपोर्ट करना**

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों से अपेक्षित है कि वे संलग्न फार्मेट के अनुसार अपने द्वारा किए गए लेनदेनों की साप्ताहिक रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें।

5. **लेखाकरण**

विकल्प संविदा के लिए लेखाकरण की रूपरेखा 29 मई 2003 के एफईडीआइ परिपत्र सं. एसपीएल-24/एफसी-रुपया ऑप्शन/2003 के अनुसार होगी।

6. **प्रलेखन**

बाज़ार के सहभागी केवल आइएसडीए प्रलेखन का अनुसरण करें।

7. **पूंजी आवश्कता**

पूंजी आवश्यकता हमारे बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशानिदेशों के अनुसार होगी।

8. विकल्प लेनदेन करने से पहले बैंक अपने स्टाफ को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करें और आवश्यक जोखिम प्रबंध प्रणाली बनाएं। वे अपने ग्राहकों को उत्पाद से परिचित करवाने के लिए कार्रवाई करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जानेवाले रिपोर्ट:

________________________को समाप्त सप्ताह

I. विकल्प लेनदेन रिपोर्ट

क्रम सं.	व्यापार तारीख	ग्राहक/ पार्टी का नाम	आनुमानिक	क्रय/ विक्रय विकल्प	स्ट्राईक	परि- पक्वता	प्रीमियम	प्रयोजन*

*व्यापार अथवा ग्राहक संबंधी तुलनपत्र का उल्लेख करें ।

II. विकल्प स्थिति रिपोर्ट

करेंसी युग्म	अनुमानित बकाया		नेट पोर्टफोलियो डेल्टा	नेट पोर्टफोलियो गामा	नेट पोर्टफोलियो वेगा
	क्रय	विक्रय			
अमरीकी डॉलर - भारतीय रुपया	अमरीकी डॉलर	अमरीकी डॉलर	अमरीकी डॉलर		
यूरो - भारतीय रुपया	यूरो	यरो	यूरो		
जापानी येन - भारतीय रुपया	जापानी येन	जापानी येन	जापानी येन		

(अन्य करेंसी पेयरों के लिए इसी प्रकार से)

टोटल नेट ओपन ऑप्शन पोज़िशन (आइएनआर)

4 अप्रैल 2003 के एपी (डीआइआर) सं.92 में निर्धारित मेथोडालॉजी का उपयोग करके उपर्युक्त का पता लगाया जा सकता है।

III. पोर्टफोलियो डेल्टा रिपोर्ट में परिवर्तन

भारतीय रुपए में स्पॉट में 0.25 प्रतिशत वृद्धि (डॉलर-वृद्धि) के लिए अमरीकी डॉलर - भारतीय रुपए डेल्टा में परिवर्तन
भारतीय रुपए में स्पॉट में 0.25 प्रतिशत वृद्धि (डॉलर-वृद्धि) के लिए अमरीकी डॉलर - भारतीय रुपए डेल्टा में परिवर्तन

इसी प्रकार, यूरो-भारतीय रुपए, जापानी येन-भारतीय रुपए, जैसी अन्य करेंसी पेयरों के लिए भारतीय रुपए में स्पॉट में 0.25 प्रतिशत परिवर्तन (एफसीवाइ वृद्धि और मूल्य ह्रास अलग) के लिए डेल्टा में परिवर्तन।

IV. स्ट्राइक कंसंट्रेशन रिपोर्ट

	परिपक्वता समूह					
तय मूल्य	1 सप्ताह	2 सप्ताह	1 माह	2 माह	3 माह	> 3 माह

यह रिपोर्ट चालू हाजिर स्तर के आसपास 150 पैसे के दायरे के लिए तैयार किया जाना चाहिए। संचयी स्थितियां दी जाए।

सभी राशियां मिलियन अमरीकी डॉलर में। जब बैंक कोई विकल्प स्वीकार करता है, राशि धनात्मक दर्शायी जाए। जब बैंक कोई विकल्प का विक्रय करता है तो राशि ऋणात्मक दर्शायी जाए। **सभी रिपोर्ट मार्केट मेकरों द्वारा ई-मेल के माध्यम से fedcofmd@rbi.org.in को भेजी जाए। रिपोर्ट प्रत्येक शुक्रवार की स्थिति में तैयार की जाए तथा अगले सोमवार तक भेजी जाए।**

अनुबंध- VIII

[भाग इ का पैरा 5 देखें]

समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार- दिनांक ----------------------------की रिपोर्ट

राशि (समतुल्य मिलियन अमरीकी डॉलर* में)

बैंक (स्विफ्ट कूट)	पिछले तिमाही .. .. के अंत अक्षत स्तर - I पूंजी	दि.1 जुलाई 2006 के जोखिम प्रबंध और अंतर बैंक लेनदेन के मास्टर परिपत्र के पैरा इ.5 (क) के अनुसार उधार	रुपया स्रोत के पुनः पूर्ति करने के सीमा से अधिक उधार@	बाहय वाणिज्यक उधार	औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग के निर्यात ऋण पर जुलाई 1, 2003 के मास्टर परिपत्र तथा मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 3/2000-आरबी के विनियम 4.2(iv) के अंतर्गत उधार	
					(क) विदेशी मुद्रा में पोतलदान पूर्व ऋण व्यवस्था (पीसीएफसी)	(ख) बैंकर स्वीकृत सुविधा (बीएएफ/ विदेश में निर्यात बिलों के पुनर्भुनाई योजना (ईबीआर) उपलब्ध करने के लिए विदेश से ऋण
	A	1	2	3	4a	4b

स्तर II पूंजी में शामिल करने के लिए विदेशी मुद्रा गौण ऋण	अन्य कोई संवर्ग (कृपया विशेष रूप से यहां इस सेल में उल्लेख करें)	कुल (1+2+3+6)	कुल (1+2+3+4+6)	अ के स्तर-I पूंजी के प्रतिशत के रूप में अभि-व्यक्त संवर्ग (1+2+3+6) के अंतर्गत उधार	अ के स्तर-I पूंजी के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त संवर्ग (1+2+3+4+6) के अंतर्गत उधार
5	6	7	8	9	10

नोट :

* 1. परिवर्तन के लिए रिपोर्ट के तारीख को रिजर्व बैंक संदर्भ दर और न्यूयार्क बंद दरों का उपयोग करें ।

@2. दिनांक 24 मार्च 2004 के.ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.81 के पैरा 4 के अनुसार सुविधा फिलहाल निकाल दी गयी है ।

अनुबंध-IX
[भाग -अ का पैरा 1(ii) (छ)देखें]

पिछले निष्पादन के आधार पर वायदा संविदाओं की बुकिंग -

दिनांक ------------------------की रिपोर्ट

बैंक का नाम ----------------------------

(अमरीकी डॉलर में)

माह के दौरान स्वीकृत कुल सीमाएं	संचयी स्वीकृत सीमाएं	बुक की गई संविदाओं की राशि	उपयोग में लाई गई राशि (प्रलेखों के सुपुर्दगी द्वारा)	रद्द किए गए वायदा संविदाओं की राशि
1	2	3	4	5

टिप्पणियां :

1. समग्र रूप में बैंक की स्थिति दर्शायी जाए।

2. वर्ष के दौरान स्तंभ 2, 3, 4 और 5 में दी गई राशियां संचयी स्थिति में होनी चाहिए। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया राशियों को आगे ले जाकर अगले वर्ष की सीमा में शामिल कर दिया जाएगा और इस प्रकार अगले वर्ष के लिए पात्र सीमाओं की गणना करते समय उसे शामिल किया जाएगा [पैरा अ 2(क)]।

अनुबंध - X

[भाग अ का पैराग्राफ 4 देखें]

अंतरराष्ट्रीय पण्य मंडियों/ बाज़ारों में पण्य मूल्य जोखिम की हेजिंग

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत वाणिज्यिक बैंक प्राधिकृत बैंक, किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय पण्य मंडियों/ बाज़ारों में किसी पण्य (स्वर्ण, प्लैटिनम और चांदी को छोड़कर) में मूल्य जोखिम की हेजिंग की अनुमति दे सकती है। नीचे दिए गए न्यूनतम् मानदंडों को पूरा करनेवाले और अपने ग्राहकों को यह सुविधा देने के इच्छुक प्राधिकृत व्यापारी वाणिज्यिक बैंक , अनुमोदन हेतु आवेदनपत्र , मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, विदेशी मुद्रा प्रभाग बाज़ार, अमर भवन, 5वीं मंजिल, मुंबई 400001 को भेजें।

निम्नलिखित न्यूनतम मानदंडों को प्राधिकृत व्यापारी द्वारा पूरा किया जाना जरूरी है :

i) कम से कम तीन वर्ष लगातार लाभप्रदता

ii) 9% न्यूनतम सीआरएआर

iii) उचित स्तर पर निवल अनर्जक परिसंपत्तियां किन्तु निवल अग्रिमों के 4% से अधिक नहीं।

iv) 300 करोड़ रुपए की न्यूनतम निवल मालियत

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही कंपनियों को अनुमति प्रदान करें। रिज़र्व बैंक को, आवश्यक समझे जाने पर, बैंकों को दी गई अनुमति को वापस लेने का अधिकार है।

2. कंपनियों को लेनदेनों की हेजिंग करने की अनुमति देने से पहले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक उनसे बोर्ड का संकल्प प्रस्तुत करने को कहे जिसमें दर्शाया गया हो (i) कि इस लेनदेनों में शामिल जोखिमों को बोर्ड समझता है (ii) हेजिंग लेनदेनों का स्वरूप ,जो कंपनी आनेवाले वर्ष में करेगी तथा (iii) कंपनी सिर्फ वहां हेजिंग लेनदेन करेगी जहां यह मूल्य जोखिम से संबंधित हो। लेनदेन की सत्यता पर संदेश होने अथवा कंपनी के मूल्य जोखिम से संबंधित न होने की स्थिति में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक किसी हेजिंग लेनदेन से मना कर सकता है। वे शर्तें, जिनके अधीन प्राधिकृत व्यापारी हेजिंग की अनुमति देंगे और लेनदेन पर निगरानी के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत नीचे दिए गए हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय मंडियों/ बाज़ारों में देशी बिक्री/ खरीद लेनदेनों पर हेजिंग की अनुमति नहीं है बावजूद इसके कि देशी मूल्य पण्य के अंतरराष्ट्रीय मूल्य से संबद्ध है। ग्राहक द्वारा हेजिंग कार्यकलाप शुरू करने से पहले उन्हें आवश्यक परामर्श दिया जाए।

3. पण्य हेजिंग के अनुमोदन की अनुमति पा चुके बैंक एक महीने के अंदर उन कंपनियों के नाम जिन्हें पण्य हेजिंग की अनुमति दी गई है और उन पण्यों के नाम जिनकी हेजिंग की गई है ,देते हुए मार्च 31 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक रिपोर्ट मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग, अमर भवन, 5वीं मंजिल, मुंबई 400001 को भेजें।

4. हेजिंग लेनदेन करने के लिए ऐसे ग्राहकों से प्राप्त आवेदनों को ,जो प्रत्यायोजित प्राधिकार के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I अनुमोदन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजना जारी रखें।

अंतरराष्ट्रीय मंडियों/ बाज़ारों में हेजिंग लेनदेन करने की लिए शर्तें/ मार्गदर्शी सिद्धांत

1. हेजिंग लेनदेन का केन्द्र जोखिम नियंत्रण पर होगा। केवल प्रति संतुलन हेजिंग की अनुमति है।

2. सभी मानक विदेशी मुद्रा व्यापारिक भावी सौदे और ऑप्शन्स (केवल खरीद) की अनुमति है। यदि जोखिम प्रोफाइल अधिकार देता है तो कंपनी/ फर्म ओटीसी संविदा का भी उपयोग कर सकता है। कंपनी/ फर्म ,जब तक प्रीमियम का सीधे अथवा निहित निवल आवक न हो, तब तक विकल्प की खरीद और बिक्री दोनों को साथ-साथ शामिल कर विकल्प कार्यनीति

का मिश्रित उपयोग कर सकता है। कंपनी/ फर्म को किसी विकल्प स्थिति को उसी ब्रोकर के प्रतिकूल लेनदेन से रद्द करने की अनुमति दे सकता है।

3. कंपनी/ फर्म, प्राधिकृत व्यापारी I के पास एक विशेष खाता खोले। हेजिंग के प्रासंगिक सभी भुगतान/ प्राप्तियों को रिज़र्व बैंक को भेजे बगैर इस खाते के माध्यम से प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I द्वारा अंजाम दिया जाए।

4. कंपनी के वित्तीय नियंत्रक द्वारा विधिवत पुष्टिकृत/प्रतिहस्ताक्षरित ब्रोकर की माह के अंत के रिपोर्ट (रिपोर्टों) की एक प्रति बैंक द्वारा सत्यापित की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी ऑफ-शोर स्थितियां फिज़िकल एक्सपोजरों द्वारा समर्थित हैं/थीं।

5. ब्रोकर द्वारा प्रस्तुत आवधिक विवरण, विशेषकर बुक किए गए लेनदेन और क्लोज़्ड आऊट संविदाएं और अंतिम निपटान में प्राप्य/ देय राशि के ब्योरे प्रस्तुत करनेवाले विवरणों की कंपनी/ फर्म जांच करें। ब्रोकरों से असमायोजित मदों को तीन महीने के अंदर समायोजित करने को कहा जाए।

6. कंपनी/ फर्म अंतरपणन/ सट्टा लेनदेन न करें। इस संबंध में लेनदेनों की निगरानी की जिम्मेदारी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I की होगी।

7. कंपनी/ फर्म सांविधिक लेखाकार से प्राप्त एक वार्षिक प्रमाणपत्र प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को प्रस्तुत करें। प्रमाणपत्र यह पुष्टि करें कि निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया गया है और कि कंपनी/ फर्म का आंतरिक नियंत्रण संतोषजनक है। ये प्रमाणपत्र आंतरिक लेखापरीक्षा/ निरीक्षण के लिए रिकार्ड में रखे जाएं।

****

अनुबंध- XI

[भाग अ का पैराग्राफ.4.(ii) देखें]

1. घरेलू लनदेनों के लिए पण्य हेजिंग - चुनिन्दा धातु

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, जिन्हें इस संबंध में रिज़र्व बैंक ने विशेष रूप से प्राधिकृत किया है, घरेलू उत्पादकों/ उपयोगकर्ताओं को उनके निहित आर्थिक जोखिमों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय पण्य मंडियों में एलुमिनियम, तांबा, शीशा, निकल और जस्ता पर उनकी मूल्यों की हेजिंग की अनुमति दे सकते हैं। उपर्युक्त पण्यों के पिछले 3 वित्तीय वर्षों (अप्रैल-मार्च) के वास्तविक खरीद/ बिक्री अथवा पिछले वर्ष के वास्तविक खरीद/ बिक्री पण्यावर्त, जो भी अधिक हो, के औसत तक हेजिंग अनुमति दी जाए। इसके अलावा, केवल मानक एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शन्स (केवल खरीद) की अनुमति दी जाए।

2. घरेलू खरीद के लिए पण्य हेजिंग - विमानन टर्बाइन ईंधन(एटीएफ)

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, जिन्हें इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ने विशेष रूप से प्राधिकृत किया है, विमानन टर्बाइन ईंधन के वास्तविक उपयोगकर्ताओं को उनके घरेलू खरीद के आधार पर अंतरराष्ट्रीय पण्य मंडियों में उनके आर्थिक जोखिमों की हेजिंग की अनुमति दे सकते हैं। यदि जोखिम प्रोफाइल औचित्यपर्ण हो तो विमानन टर्बाइन ईंधन के वास्तविक उपयोगकर्ता ओटीसी संविदाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक सुनिश्चित करें कि विमानन टर्बाइन ईंधन की हेजिंग के लिए अनुमति फर्म के आदेशों पर ही दी जाती है और आवश्यक दस्तावेजी सबूत उनके द्वारा रखे जाते हैं।

टिप्पणी : (i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त पैरा 1 और 2 के तहत हेजिंग कार्यकलाप करनेवाली कंपनियों के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिये जो उस संपूर्ण ढाँचे को को परिभाषित करे जिसमें डेरिवेटिव्स कार्यकलापों की हेजिंग की जाए और जोखिम नियंत्रित किए हों ।

प्रत्यायोजित प्राधिकार के तहत शामिल न किए गए हेजिंग लेनदेनों को करने के लिए ग्राहकों से प्राप्त आवेदनों को पहले की तरह अनुमोदन के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक रिज़र्व बैंक को भेजना जारी रखें।

		अनुबंध- XII
		[भाग अ का पैरा 5 देखें]
घेरलू क्रयूड ऑयल मार्केटिंग और रिफाइनिंग कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों की जोखिम से हेजिंग		
1.	हेजिंग केवल उन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों द्वारा ही की जानी है जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 जुलाई 2005 के एपी(डीआईआरसिरीज) परिपत्र सं. 03 के अनुबंध में और नीचे अनुबंध X में भी दी गई हैं , शर्तों व दिशा-निर्देशों के अधीन विशेष रूप से प्राधिकृत किया है ।	
2.	उपर्युक्त हेजिंग करने की अनुमति देने से पहले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अपने जोखिमों की हेजिंग करने में घेरलू क्र्रूड ऑयल मार्केटिंग और रिफाइनिंग कंपनियां निम्नलिखित प्रावधानों का अनुपालन करें :	
	(i)	उनके पास बोर्ड से अनुमोदित नीति होनी चाहिये जो उस नीति के समग्र ढाँचे को परिभाषित करती हो ,जिसमें डेरिवेटिव कार्य किये जाएं और जोखिम जोखिम नियंत्रित हो ।
	(ii)	किसी विशिष्ट कार्यकलाप के लिए और ओटीसी मार्केट्स में भी कारोबार करने के लिए कंपनी के बोर्ड की मंजूरी प्राप्त की गयी हो।
	(iii)	बोर्ड के अनुमोदन में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये कि दैनिक बाजार मूल्य को बहियों में अंकित करने की नीति, ओटीसी डेरिवेटिव के लिए अनुमत काउंटरपार्टियां आदि अनिवार्यतया सम्मिलित की गयी हैं ।
	(iv)	इस योजना के तहत हेजिंग सुविधा जारी रहने की अनुमति देने से पहले ,घेरलू क्र्रूड ऑयल मार्केटिंग और रिफाइनिंग कंपनियां , प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा प्रमाणित ओटीसी लेनदेनों की सूची छमाही आधार पर बोर्ड को प्रस्तुत की हो ।
3.	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को, 20 अप्रैल 2007 के हमारे परिपत्र सं. बीपी.बीसी.86/21.04.157/2006-07 के पैरा8.3 में निहित "व्युत्पन्नों पर व्यापक दिशा-निर्देशों के के अनुसार " ग्राहक द्वारा प्रयुक्त हेजिंग उत्पादों की " प्रयोक्ता उपयुक्तता " और " औचित्य " भी सुनिश्चित करना चाहिये ।	

अनुबंध- XIII

[भाग अ X का पैरा 7(ii)देखें]

विवरण - विदेशी संस्थागत निवेशक ग्राहकों द्वारा किए गए
वायदा कवर के ब्योरे

माह -

भाग अ - बकाया वायदा कवर (पुन:बुकिंग के बगैर) के ब्योरे

विदेशी संस्थागत निवेशक का नाम

वर्तमान बाज़ार मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर)

वायदा कवर के लिए पात्रता	बुक की गई वायदा संविदाएं		रद्द की गई वायदा संविदाएं		कुल बकाया वायदा कवर
	माह के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से माह	माह के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से माह	

भाग आ - रद्द करने तथा पुन:बुक करने के लिए अनमत लेनदेनों के ब्योरे

विदेशी संस्थागत निवेशक का नाम

वर्ष की शुरुआत में तय किए गए बाज़ार मूल्य

वायदा कवर के लिए पात्रता	बुक की गई वायदा संविदाएं		रद्द की गई वायदा संविदाएं		कुल बकाया वायदा कवर
	माह के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से माह	माह के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से माह	

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का नाम :
प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर :
दिनांक :
मुहर :

अनुबंध- XIV

[भाग ई का पैरा 7(X)देखें]

बुक की गयी और निरस्त संविदाओं के ब्योरे
दिनांक ------को समाप्त तिमाही का विवरण

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

श्रेणी	बुक की गई वायदा संविदाएं		रद्द की गई वायदा संविदाएं	
	तिमाही के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से माह	तिमाही के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से माह
लघु और मझोले उद्यम				
व्यक्तिगत				

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का नाम :
प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर :
दिनांक :
मुहर :

अनुबंध- XIV

[भाग अ का पैरा 1(iv)देखें]

[29 अक्तूबर 2007 का उपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 15]

निवासी व्यक्तियों द्वारा 100,000 अमरीकी डॉलर तक की विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं बुक करने के लिए आवेदनपत्र एवं घोषणा

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

I.	आवेदक के ब्योरे
(क)	नाम
(ख)	पता
(ग)	खाता संख्या
(घ)	स्थायी खाता संख्या (पैन)
II.	अपेक्षित विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं के ब्योरे
	1.राशि (करेंसी-युग्म स्पष्ट करें)
	2.अवधि
III.	दिनांक ---------------------------को बकाया वायदा संविदाओं की राष्ट्रीय कीमत
	1.राशि (करेंसी-युग्म स्पष्ट करें)
	2.विप्रेषण समय-सारिणी
	3.प्रयोजन

घोषणा

मैं --(आवेदक का नाम) एततद्वारा घोषणा करता हूँ कि भारत में -----------------------बैक ------------------(नामित शाखा) में बुक की गई विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं की कुल राशि 100,000 अमरीकी डॉलर (केवल एक लाख यू.एस.डॉलर) की नियत सीमा के भीतर है और प्रमाणित करता हूँ कि वायदा संविदाएं अनुमत चालू खाता और /अथवा पूँजी खाता लेनदेन कारोबार के लिए हैं । मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने अन्य किसी बैंक /शाखा में कोई विदेशी मुद्रा वायदा संविदा बुक नहीं की है । मैं विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं की बुकिंग की अंतर्निहित जोखिमों से अवगत हूँ ।

आवेदक का हस्ताक्षर	
आवेदक का नाम :	
स्थान	
दिनांक	

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राहक श्री ---------------------(आवेदक का नाम) जिनका स्थायी खाता संख्या (पैन) --------------है , दिनांक ------------------से हमारे पास खाता सं.---------(खाता संख्या) है । * हम प्रमाणित करते हैं कि ग्राहक 'धन शोधन निवारक / अपने ग्राहक को जानिए ' से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करता है और अपेक्षित " प्रयोक्ता उपयुक्तता " और " औचित्य " जांच करने के बाद पुष्टि करते हैं ।

प्राधिकृत अधिकारी का नाम व पदनाम	
स्थान	
हस्ताक्षर	
आवेदक का नाम :	
दिनांक व मुहर	

परिशिष्ट

जोखिम प्रबंध और अंतर बैंक लेनदेन के संबंध में इस मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों/ अधिसूचनाओं की सूची

क्रमांक	अधिसूचना/परिपत्र	दिनांक
1.	अधिसूचना सं. फेमा.25/2000-आरबी	मई 3, 2000
2.	अधिसूचना सं. फेमा 101/2003-आरबी	अक्तूबर 3, 2003
3.	अधिसूचना सं. फेमा.104/2003-आरबी	अक्तूबर 21, 2003
4.	अधिसूचना सं. फेमा.105/2003-आरबी	अक्तूबर 21, 2003
5.	अधिसूचना सं. फेमा.127/2005-आरबी	जनवरी 5, 2005
6.	अधिसूचना सं. फेमा.143/2005-आरबी	दिसंबर 19, 2005
7.	अधिसूचना सं. फेमा.147/2006-आरबी	मार्च 16, 2006
8.	अधिसूचना सं. फेमा.148/2006-आरबी	मार्च 16, 200
1.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.92	अप्रैल 4, 2003
2.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.93	अप्रैल 5, 2003
3.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.98	अप्रैल 29, 2003
4.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.108	जून 21, 2003
5.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.28	अक्तूबर 17, 2003
6.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 46	दिसंबर 9, 2003
7.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 47	दिसंबर 12, 2003
8.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 81	मार्च 24, 2004
9.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 26	नवंबर 1, 2004
10.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 47	जून 23, 2005
11.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 03	जुलाई 23, 2005
12.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 25	मार्च 6, 2006
13.	ईसी.सीओ.एफएमडी.सं.8/02.03.75/2002-03	फरवरी 4, 2003
14.	ईसी.सीओ.एफएमडी.सं.14/02.03.75/2002-03	मई 9, 2003
15.	ईसी.सीओ.एफएमडी.सं.345/02.03.129(पॉलिसी) / 2003-04	नवंबर 5, 2003
16.	एफई.सीओ.एफएमडी.सं.1072/02.03.89/2004-05	फरवरी 8, 2005

17.	एफई.सीओ.एफएमडी.सं.2/02.03.129(पॉलिसी) / 2005-06	नवंबर 7, 2005
18.	एफई.सीओ.एफएमडी.सं.21921/02.03.75/2005-06	अप्रैल 17, 2006
19.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.21	दिसंबर 13,2006
20.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 32	फरवरी 08 ,2007
21	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 52	मई 08, 2007
22.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 66	मई 31, 2007
23	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 76	जून 19 ,2007
24.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 15	अक्तूबर 29, 2007
25	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 17	नवंबर 6, 2007
26	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 47	जून 03 ,2008

इस परिपत्र को फेमा, 1999 और इसके अंतर्गत जारी किए गए नियमों/ विनियमों/ निदेशों/ आदेशों/ अधिसूचनाओं के साथ पढ़ा जाए।